न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 52/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश पुरोहित पुत्र श्री आर0 सी0 पुरोहित मैसर्स बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, ब्लॉक ए, राजीव सर्कल, पंचशील नगर, अजमेर।
2. मैसर्स बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, ब्लॉक ए, राजीव सर्कल, पंचशील नगर, अजमेर।

.......अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित :— श्री नितेश डूकिया, वकील अप्रार्थी की ओर से।

—: आदेश :—

दिनांक— 03.08.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.1(2) कार्मिक/क—4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड वेज हक्का नुडल्स विकय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (।) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.06.2015 को 02.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, ब्लॉक ए. राजीव सर्कल, पंचशील नगर, अजमेर पर पहुँचे श्री सुमित चटर्जी पुत्र श्री गोपालदास चटर्जी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को वेज हक्का नुडल्स का विक्रय कर रहे थे। मौके पर लगभग 100 पैकिट वेज हक्का नुडल्स के रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान वेज हक्का नुडल्स में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 4 पैकिट (600 ग्राम X 4) वेज हक्का नुडल्स वास्ते नमूना जॉच हेतु 360/– रुपये श्री सुमित चटर्जी को नगद देकर गवाह श्री रमेश चन्द्र सैनी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष कय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सुमित चटर्जी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा वेज हक्का नुडल्स के प्रत्येक पैकिट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ अजमेर के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चिपका कर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक एजे–690 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एजो/एफएसएसए 2006/15/6116 दिनांक 10.07.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/450 /एफएसएसए/2015/336 दिनांक 18.06.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया वेज हक्का नुडल्स मिसब्राण्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 31.05.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 31.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 03.08.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 03.08.2016 को अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी ने उन पर लगाये गये आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं बेबुनियाद है। बरवक्त निरीक्षण अप्रार्थी घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे तथा न ही परिवादी द्वारा उनसे किसी भी खाद्य पदार्थ को वास्ते जांच लिया गया। उन्होंने कथन किया कि पत्रावली में न तो उनकी कहीं उपस्थिति दर्ज है न ही उनके हस्ताक्षर अंकित है बल्कि समस्त कार्यवाही श्री सुमित

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त ... (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

चटर्जी पुत्र श्री गोपालदास चटर्जी की उपस्थिति में की गई है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर कार्यवाही ड्रॉप की जावें।

हमने वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अप्रार्थी श्री दिनेश पुरोहित की उपस्थिति में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है तथा न ही पत्रावली पर उनके विरूद्व कोई साक्ष्य उपलब्ध है किन्तु अप्रार्थी फर्म द्वारा मिसब्राण्ड वेज हक्का नुडल्स का विक्रय किया गया है। अतः उक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुमित चटर्जी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्री सुमित चटर्जी को रु. 5000/–(अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है तथा श्री आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पूर्ण रूप से सजग रहकर अपने कार्य को अंजाम दे अन्यथा उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 03.08.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 03.08.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन, अजमेर

3– श्री सुमित चटर्जी पुत्र श्री गोपालदास चटर्जी मैसर्स बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, ब्लॉक ए, राजीव सर्कल, पंचशील नगर, अजमेर। ।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner